उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1547/नौ–9–16–163ज/2010
लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम,2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11 सन् 2011) की धारा–4 (1) के अधीन अधिसूचना संख्या–649/नौ–9–2011–163ज/2010,दिनांक 30 मार्च,2011 द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में **सदस्य पद के लिये** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार "सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन,वित्त और लेखा,शहरी सम्पत्तियों का मूल्यॉकन,नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा–अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।"

अधिनियम की धारा–5 (5) के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के **सदस्य** 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सदस्य कोई पद धारित नहीं करेंगे। वेतन,भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तो में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायगा। बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2016 की सायं 6:00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से सचिव,नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के नाम से या नगर विकास विभाग के ई–मेल (cc.urbandev @ gmail.com) पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10/11/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
2. अध्यक्ष,वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड,उ0प्र0,लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,उ0प्र0,लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
6. सूचना निदेशक,सूचना निदेशालय,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के **सदस्य** पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु उक्त विज्ञप्ति को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुये विज्ञापन की पेपर कटिंग नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. कम्प्यूटर सेल,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।